

दिनांक-14.07.2020 को प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड के कार्यालय कक्ष में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड के साथ वर्ष 2019-20 का लेखा ससमय महालेखाकार को उपलब्ध नहीं कराना, अवैध वन पातन पर जाँच की स्थिति स्पष्ट नहीं करना लेखा लंबित रखने वाले/अवैध पातन में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करना एवं Audit Report में Confiscated vehicle के Auction पर कार्रवाई के संबंध में आहूत बैठक की कार्यवाही।

विभाग द्वारा निर्धारित कार्यसूची के अनुसार निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं-

1. लेखा

प्रधान वन मुख्य वन संरक्षक के द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया तथा विमर्श के क्रम में जानकारी दी गई कि कुल 9 अवशेष स्थापनाओं का लेखा महालेखाकार कार्यालय में समर्पित किया गया है, जो निम्नवत् है:-

(i) सारण्डा वन प्रमंडल (ii) चाईबासा वन प्रमंडल (iii) पाकुड़ वन प्रमंडल (iv) साहेबगंज वन प्रमंडल (v) मेदिनीनगर वन प्रमंडल (vi) अपर प्रधान वन मुख्य वन संरक्षक, विकास (vii) लातेहार सामाजिक वानिकी प्रमंडल (viii) देवघर सामाजिक वानिकी प्रमंडल (ix) लातेहार राजकीय व्यापार प्रमंडल

2. ऐसे प्रमंडल जिनका लेखा समर्पित करने में विलंब हुआ है वैसे क्षेत्रों/प्रमंडलों के नियंत्रण में किये गये कार्यों के जाँच के संदर्भ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड द्वारा जानकारी दी गई कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक द्वारा उक्त की जाँच कराई गई। जाँच में मेदिनीनगर, दुमका एवं जमशेदपुर रीजन के चार प्रमंडलों (सारण्डा, चाईबासा, पाकुड़, मेदिनीनगर) में कार्य संतोषजनक पाया गया। शेष साहेबगंज वन प्रमंडल, लातेहार सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर सामाजिक वानिकी प्रमंडल तथा लातेहार राजकीय व्यापार प्रमंडल का प्रतिवेदन अप्राप्त है। यह अवांछनीय है। निर्धारित समय से 30 दिन बितने के बाद प्रतिवेदन अप्राप्त रहना संदेह उत्पन्न करता है।

इस पर शेष बचे प्रमंडलों के कार्यों की जाँच संबंधित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराने का निदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को दिया गया है।

(ii) मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर (पत्रांक-1085, दिनांक-09.07.2020) से प्राप्त प्रतिवेदन से प्रतिवेदित है कि छतरपुर पूर्वी वन प्रक्षेत्र मेदिनीनगर वन प्रमंडल के जाँच हेतु गठित समिति के मनोनित अध्यक्ष श्री सोवेन्द्र कुमार, सहायक वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर द्वारा जाँच कार्य में रुचि नहीं दिखाई गयी। प्रपत्र-क गठित कर मुख्य वन संरक्षक प्रस्ताव दें।

अग्रतर कार्रवाई हेतु मामले को संबंधित प्रशाखा को उपलब्ध कराया जाए।

3. अवैध पातन

लॉकडाउन समयावधी में राज्य के विभिन्न जिलों के वन क्षेत्रों में वृक्षों के अवैध पातन की घटनाएँ हुई हैं जिसे विशेष शाखा द्वारा संज्ञान में लाया गया है। अवैध पातन की सूचनाएँ अन्य श्रोतों से भी प्राप्त है।

(ii) इस संदर्भ में प्रधान वन मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड द्वारा बताया गया कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत कार्रवाई किया जाता है। मेदिनीनगर वन प्रमंडल में अवैध पातन मामले में एक समिति का गठन किया गया है एवं समिति द्वारा जाँच की जा रही है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अलग से प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

(iii) राँची, हजारीबाग, बोकारो, दुमका रीजन से वृक्षों के अवैध पातन के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त है एवं कुल-167 वनवाद दर्ज किए गए हैं तथा ट्रक, टाटा-407, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल आदि की जप्ती की गई है।

(iv) वनक्षेत्रों में वृक्षों के अवैध पातन पर जमशेदपुर रीजन का भी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश के साथ-साथ अवैध पातन पर गम्भीरता से कार्रवाई करने का निदेश प्रधान मुख्य वन संरक्षक को दिया गया है।

(v) विशेष शाखा के reported स्थल की जाँच CF/DFOs द्वारा स्वतः किया जाय।

(vi) विभागीय पदाधिकारी की संलिप्तता हो तो सख्त कार्रवाई की जाय।

(vii) जाँच से शिकायतकर्ता को भी अवगत कराया जाय।

(viii) सम्पूर्ण स्थिति से विभागीय मंत्री को अवगत कराया जाय।

4. अधिहरित वाहन एवं जप्त वन पदार्थ का निष्पादन

(क) प्रधान वन मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड द्वारा इस संदर्भ में रीजनवार प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जो निम्नवत् है:-

रीजन का नाम	30.06.2020 तक अधिहरित वाहनों की संख्या	कुल बिक्रीत वाहनों की संख्या
बोकारो	903	156
दुमका	16	4
जमशेदपुर	412	255
राँची	459	202
पलामू	224	118
हजारीबाग	270	61
मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झा०, राँची	148	32
कुल	2432	828

उक्त पर प्रधान सचिव द्वारा जप्त किये गये वाहनों का confiscation proceeding का निपटारा तीव्रता से करने तथा confiscated वाहनों को आम निलामी द्वारा बिक्री करने का निदेश दिया गया है। इसे expedite किया जाय।

(ii) GOI की एक PSU द्वारा संभवतः online auction किया जाता है। उसे भी समन्वय किया जाय।

(iii) Jharkhand State Litigation Policy का अनुपालन किया जाय।

(iv) न्यायादेश/ confiscation प्रक्रिया/ AG audit observation का अनुपालन हो ताकि कोई दंडात्मक कार्रवाई न हो।

(v) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WP(c) no.3885 of 2012 में पारित आदेश की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो ताकि सरकार के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हो। भविष्य में यह वसूली संबंधित DFO से की जायेगी।

(ख) इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड द्वारा निम्न जानकारी दी गई कि:-

(i) आम निलामी में Reserve price निर्धारित करने के लिए एक समिति गठित है। कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि आम निलामी में Reserve price से कम बोली लगाई जाती है। जिसके कारण आम निलामी की प्रक्रिया बाधित होती है।

(ii) बहुत सारे वाहन पुलिस विभाग द्वारा वन अधिनियम के तहत जप्त किये गये हैं, लेकिन पुलिस विभाग से confiscation का प्रस्ताव न आने अथवा देर से आने के कारण confiscation proceeding शुरू करने में कठिनाई आती है। इस पर जिला समन्वय समिति तथा आपसी DFO-SP Co-ordination से इसे सुलझाया जाय।

(iii) अंतरविभागीय समन्वय की जरूरत हो तो specific details के साथ बैठक DGP/Home Secretary और CS के स्तर पर की जा सकेगी।

(iv) RCCF बोकारो का प्रपत्र (Performa) ठीक है। इसी में सूचना संकलित की जाय।

(v) इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड को specific प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया ताकि राज्य सरकार द्वारा उचित निर्णय लिया जा सके।

(ग) अन्य Auction सामग्री का निष्पादन: काफी confiscated material है जिसका स्थापित प्रक्रिया अपना कर निष्पादन किया जाना है। यह कार्य सितम्बर, 2020 तक पूर्ण किया जाय।

5. पेंशन/सेवानिवृत्त लाभ (Jan-June, 2020) Non- Gazetted का status में कतिपय प्रगति है। निम्न कार्यालय को अपने कार्यों पर विशेष ध्यान देना है:-

क्र०सं०	कार्यालय का नाम	व० प्रमं० पदाधिकारी के स्तर पर लंबित
1	वन प्रमंडल पदाधिकारी, व्याघ्र योजना, दक्षिणी वन प्रमंडल, पलामू, मेदिनीनगर	2
2	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची	2
3	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर एवं पलामू, हजारीबाग	3
4	वन प्रमंडल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा	2
5	वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर	3

6	वन प्रमंडल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमंडल, दुमका	3
7	वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर	3
कुल		18

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Ap 24/07/2020
(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

प्रधान सचिव

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक-07/अवैध पातन/खनन(विविध)-07/2020-2084 दिनांक-23-07-2020

प्रतिलिपि:- सभी प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ सभी मुख्य वन संरक्षक/ सभी वन संरक्षक/ सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/ सभी उप वन संरक्षक/ सभी उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित) इसे विभागीय पोर्टल पर संधारित कराना सुनिश्चित करें।

Ap 24/07/2020
प्रधान सचिव

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक-07/अवैध पातन/खनन(विविध)-07/2020 2236 दिनांक-24/08/2020

प्रतिलिपि :- मुख्य वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन अंचल, राँची को विभागीय पोर्टल पर upload करने हेतु प्रेषित।

24/8/20
(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी।